FORM NO. III (प्रारूप संख्या–3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अति० जिला कलक्टर मुकाम नीमकाथाना

हरदेवाराम बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 74 वर्ष 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/10/22	रिपोर्ट दाखिला होकर अपील अपीलान्ट पेश की। वकील अपीलान्ट उप०। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कि जाकर नोटिस विरुद्ध रेस्पो० जारी होकर पत्रावली दिनांक 17-11-22 को पेश हो।	
17/11/22	पत्रावली पेश की। वकील अपीलान्ट उप०। रेस्पो० कि तामील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस तलबाना पेश होने पर तामिल जारी हो। पत्रावली वास्ते तामिल दिनांक 30.11.22 को पेश हो।	
	30-11-2022 – पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्ट का पुख्ता मकान भूमि ख० न० 496/1 मे नही है बल्कि भूमि ख० न० 497 में स्थित है। एवं उक्त भूमि [illegible] का अधिकांश भाग आबादी के उपयोग [illegible] से आ रहा है। [illegible] अपीलान्ट को अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया।------	

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:05:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विद्युत सम्बन्ध लिया है। पटवारी हल्का द्वारा अतिचार 200 वर्ग मीटर पर बताया है। सीमाओं का अंकन नहीं है। लम्बाई चौडाई का अंकन भी नहीं है। अपीलान्ट को अनुपस्थित दिखाकर निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर का निर्णय दिनांक 6-9-2022 उनवान्नी सरकार बनाम हरदेवाराम प्रकरण सं 7/22 अपास्त फरमाया जावें।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व रेस्पो० से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश कि गई है जिसमे भूमि ख० न० 496 किस्म चारागाह रकबा 18.84 है। मे से 0.02 है। पर पक्की दीवार लगाकर अतिक्रमण किया गया बताया है। इसी आधार पर अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 6-9-2022 को उक्त रकबे से बेदखल करने का आदेश पारित [illegible] गया है। पटवारी हल्का [illegible] की गई है जिसके [illegible] कि बनाया गया है उसमे अतिक्रमण कितने रकबे पर कर रखा है। उसका अंकन नहीं ....

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:05:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(नियम 26)

...त..मुकाम..

....बनाम..

...दमा.........अपील.........नम्बर.........74.........वर्ष 2022

...म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	है। एवं ना ही चौर दिशाओ का माप अंकित किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन भी सही है कि विद्युत सम्बंध का निर्णय में अंकन नही है। ना ही नजरी नक्शा में अतिक्रमण जो बताया है उसकी लम्बाई चौडाई का भी माप नही है। इस आधार अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर का प्रकरण सं 7/22 उनवानी सरकार बनाम हरदेवाराम निर्णय दिनांक 6-9-2022 अपास्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि मौके पर भूमि का चारो दिशाओ माप चैक कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देते हुए निर्णय पुन: पारित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर के साथ निर्णय की प्रति भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल ...	
	(अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:05:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner